प्रेस नोट

थाना - चांदीनगर   दिनाँक 15.04.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 4320/-रूपये, ताश के 52 पत्ते एवं घटनास्थल से 05 मो0सा0 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4320/-रूपये, ताश के 52 पत्ते एवं घटनास्थल से 05 मो0सा0 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.साकिर पुत्र वसीयत अली निवासी आदर्श कालोनी थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 62 वर्ष

2.तुषार उर्फ अंकित पुत्र रामकृपाल निवासी डिडौली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- कुल 4320- रूपये
- ताश के 52 पत्ते
- 05 अदद मो0सा0 रजिस्ट्रेशन न0 क्रमशः 1. UP 14 EU 5401 प्लेटिना, 2. UP17R 5710 स्प्लैण्डर 3. UP 14 EV 8768 स्प्लैण्डर, 4. UP 14 EV 4863 स्प्लैण्डर, 5. UP 17AA 9735 स्प्लैण्डर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना चांदीनगर।
2. उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना चांदीनगर।
3.है0का0 560 ओंकार सिंह थाना चांदीनगर।
4. है0का0 413 पुष्पेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर।
5. है0का0 703 प्रमोद कुमार थाना चांदीनगर।
6. है0का0 898 सतीश कुमार थाना चांदीनगर।
7. का0 445 कपिल कुमार थाना चांदीनगर।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 15.04.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 80/26 धारा 103(1)/238(ए)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर मृतक का शव व मोबाइल तथा कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.04.2026 को थाना छपरौली पर वादी श्री नुकूल पुत्र श्री प्रदीप निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. मंजीत पुत्र भूरू (भोगा) निवासी ग्राम सिनौली थाना

छपरौली जनपद बागपत व 2. एक व्यक्ति अज्ञात निवासी बुढपुर द्वारा वादी के भाई मुकुल उम्र करीब 24 वर्ष को घर से अपने साथ कहीं ले गये थे व हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 80/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 80/26 धारा -103(1)/238(ए)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर मृतक मुकुल पुत्र प्रदीप का शव व मोबाइल तथा शव को छिपाने में प्रयुक्त एक्टिवा न0 यूपी 17 जेड 3874 को बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 238 बीएनएस धारा 238(ए) में परिवर्तित तथा धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मंजीत उर्फ गौरव पुत्र बाबूराम उर्फ भूरु उर्फ भूरा निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मृतक मुकुल का मेरे घर पर आये दिन आना जाना लगा रहता था, मुझे शक था की मृतक मुकुल का मेरी पत्नि के साथ अवैध सम्बन्ध है। इसी के चलते मैने दिनांक 12.04.2026 को अपने भांजे निर्भय उर्फ छोटू पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत के साथ मिलकर मृतक को अपने घर पर बुलाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी तथा मृतक के शव को चादर में लपेट कर अपने भांन्जे निर्भय उर्फ छोटू के साथ मिलकर मृतक के शव को अपनी एक्टिवा पर रखकर सिनौली औढापुर मार्ग पर राजबल के ट्यूबवैल पर कूँये में फेंक दिया तथा मृतक के मोबाइल को अपने घर में ही छिपा दिया था।

बरामदगी का विवरण

- अभि0 की निशादेही पर मृतक का शव ।
- मृतक का मोबाइल औप्पो
- घटना में प्रयुक्त एक्टिवा न0 यूपी 17 जेड 3874

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री आशीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3-उ0नि0 श्री रोहित कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
4-उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
5-का0 137 राजकुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
6-का0 511 धर्मेन्द्र थाना छपरौली जनपद बागपत ।